भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2467
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई द्वारा संसाधित समुद्री उत्पाद

2467. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा प्रसंस्कृत कुल समुद्री उत्पादों के आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास स्थानीय स्तर पर उपभोग किए जाने वाले प्रसंस्कृत समुद्री उत्पादों की मात्रा/संख्या तथा निर्यात की जाने वाली मात्रा के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान कुल समुद्री मत्स्य उत्पादन 44.95 लाख टन है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एनएबीसीओएनएस) द्वारा 2022 में "भारत में कृषि उत्पादों के फसलोत्तर नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन " शीर्षक से किए गए अध्ययन के अनुसार, भारत में मत्स्य पालन (समुद्री) के लिए कटाई के बाद का नुकसान 8.76% अनुमानित है। यह माना जाता है कि शेष समुद्री उत्पादों को स्थानीय खपत और निर्यात के लिए संसाधित किया जाता है।

इसके अलावा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने 60,523.89 करोड़ रुपये मूल्य के 17,81,602 मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया और प्रसंस्कृत समुद्री उत्पादों की शेष मात्रा देश में घरेलू खपत के लिए उपलब्ध थी।

*****